3 प्रति

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोड़ा)

दूरभाष संख्या 05966–211126 e.mail: eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 939 /30सी दिनांक 05.12.2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.869 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक **08 बी / यू0सी0पी0/06/30/2015/एफ0सी0/1817** दिनांक **06.02.2018**

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.869 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्वान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। आरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :–

1. शर्त सं0–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.738 है0 भूमि ग्राम–उपराड़ी सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु रू0 27,13,640.00 (रू0 सत्ताइस लाख तेरह हजार छः सौ चालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृत की शर्त के अनुपालन में उल्लेखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम– उपराड़ी सिविल एवं सोयम वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 9.738 है0 है को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/ हस्तान्तरित कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र इस कार्यालय के अनुपालन आख्या के साथ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण पत्र भी संलग्न (संलग्न–1) कर प्रेषित किया जा रहा है।
2. शर्त सं0–2 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्व वर्तमान मूल्य रू0 31,98,933.00 (रू0 इकतीस लाख अठ्ठानवे हजार नौ सौ तैत्तीस) मात्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित इको क्लास के अनुसार देय एन0पी0वी0 की राशि जमा कर दिया गया है।
3. शर्त सं0–3 के अनुपालन में बढ़ी हुई शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की राशि जमा कराने हेतु वचनवद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न–2) कर प्रेषित किया जा रहा है।
4. शर्त सं0–4 के अनुपालन में देय धनराशि को RTGS के माध्यम से Compensatory Affrorestion Fund (CAF) Uttarachal SB A/C No. 150896110125463 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कर दिये गये है। जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र संलग्न कर (संलग्न–3) आपके कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है।

5. शर्त सं0–5 के अनुपालन मे मार्ग निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों ओर Central Verge पर Strip Plantation किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न–4) कर प्रेषित किया जा रहा है।
6. शर्त सं0–6 के अनुपालन में **क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता** प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न–5) कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में आने वाले वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि को वन विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि **जौरासी से घन्याल** मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले आवश्यक वन भूमि 4.869 है0 के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि 9.738 है0 ग्राम उपराड़ी, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र– उपराड़ी, तहसील–स्याल्दे, जिला–अल्मोड़ा के अन्तर्गत गै0ज0वि0 खतौनी संख्या 57 श्रेणी–9(3)ड़ "बंजर काबिल आबाद" भूमि के पैमायशी खेत न0– 3251 की 0.878 है0, खेत न0–3253 की 0.844 है0 खेत न0– 3255 की 1.125 है0, खेत न0–3256 की 0.5554 है0 खेत न0– 3257 की 0.625 है0, खेत न0–3258 की 0.503 है0, खेत न0–3261 की 0.913 है0,खेत न0–1136 की 0.698 है0, खेत न0–1138 की 1.519 है0, खेत न0–1168 की 0.919 है0, खेत न0–1191 की 0.759है0, खेत न0–1139 मध्ये रकवा 0.201 है0 अर्थात कुल 12 खेत नम्बराने की कुल–9.738 है0 सिविल भूमि को जिलाधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या **36/ग्यारह–03/2017–18,दिनांक 04 अक्टूबर 2018** द्वारा वन विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियन्त्रण हेतु नामान्तरित/स्थान्तरित कर दी गई है। उसे वन विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में कर लिया गया है।

संलग्न : जिलाधिकारी अल्मोड़ा का कार्यालय आदेश।

Ravi JE

(गोपाल सिंह राणा)

उप क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

(विक्रम सिंह कैड़ा)
उप राजिक
जौरासी अनुभाग
वन क्षेत्र जौरासी

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

एन0पी0वी0 मूल्य जमा करने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु0 3198933.00 मात्र एन0पी0वी0 जमा कर दी गयी है। यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा

F:\FOREST\certificate.doc

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"
ent, Forest and Climate Change
rnment of India

My Account
My Proposals Environment Clearance
My Proposals Forest Clearance
My Proposals Wildlife Clearance
Help

5:22:09 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10125/2015 Jourashi to Ghanyal Motor Road	5463	6110125463	06-Feb-18	CA: 2713640/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3198933/- , 0:00 0/- 0:00 0/- 0:00 0/- 0:00 0/- Total : 5912573/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 12-Apr-18 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 13-Apr-18 Transaction Date : 25-May-18	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/32804/2009 jorashi jaikhal MR	ROAD328042009393	6132804393	08-Jan-16	CA: 4078645/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 7558950/- , 0:00 0/- 0:00 0/- 0:00 0/- 0:00 0/- Total : 11637595/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28-Mar-18 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30-Mar-18 Transaction Date : 21-Apr-18	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/13914/2015	ROAD139142015292	6113914292	28-Dec-17	CA: 1947616/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 13-Feb-18	Demand Letter

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात मार्ग के दोनों ओर Central Verge पर Strip Plantation किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा

F:\FOREST\certificate.doc

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे के अर्न्तगत प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना में जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित उपराड़ी सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

(गोपाल सिंह राणा)
व०र०, औखाल बीट
जौरासी वन क्षेत्र

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

(विक्रम सिंह कोड़ा)
उप राजिक जौरासी अ०कु०
वन क्षेत्र जौरासी

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे विकास खण्ड स्याल्दे के अर्न्तगत जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग व
8.160 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.869 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षा
दोगुनी क्षेत्रफल की **कुल–9.738 हैक्टयर** सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नि
हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन
के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वा
शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि
क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे तहसीलदार स्याल्दे
ज्ञाप/र0का0/दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रेषित तथा उप जिलाधिकारी, भिकियासैण/रु
अग्रसारित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट, जनपद
पत्रांक 672/03 सी. दिनांक: 27.08.2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिले
क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 05–03–2016 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपो
की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा
स्याल्दे/उप जिलाधिकारी भिकियासैण/स्याल्दे की आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू0 फॉरेस्ट, देहरादून
08बी/यू0सी0पी0/06/30/2016 एफ0सी0/1817,दिनांकः 06–02–2018 के द्वारा निर्गत सैद्वान्ति
के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–उप्राडी राजस्व उप निरीक्षक क्षे
तहसील–स्याल्दे, के गै0ज0 वि0 ख0 खा0 संख्या–57 की श्रेणी–9(3)ड़ ''बंजर काबलि आवाद
पैमायसी खेत नम्बर–3251 रकवा 0.878 हैक्टयर, खेत नम्बर 3253 रकवा 0.844 हैक्टयर, खेत
रकवा 1.125 हैक्टयर, खेत नम्बर 3256 मध्य रकवा 0.554 हैक्टयर, खेत नम्बर 3257 रकवा 0.6
खेत नम्बर 3258 रकवा 0.503 हैक्टयर, खेत नम्बर 3261 रकवा 0.913 हैक्टयर, खेत नम्बर 1136
हैक्टयर, खेत नम्बर 1138 रकवा 1.519 हैक्टयर, खेत नम्बर 1168 रकवा 0.919 हैक्टयर, खेत
रकवा 0.759 हैक्टयर एवं खेत नम्बर 1139 मध्ये रकवा 0.201 हैक्टयर अर्थात कुल 12 खेत नम्बर
9.738 हैक्टयर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्
क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे ना
जाती है। तहसीलदार स्याल्दे उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौन
प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(नितिन सिंह भद
जिला अधि
अल्मोड़

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा 04-10 - ~~सितम्बर~~, 2018

संख्या– 36 /ग्यारह– 03 /2017–18, दिनांकः

प्रतिलिपिःनिम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, भिकियासैण, जनपद अल्मोड़ा।
4– अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,सल्ट जनपद अल्मोड़ा।
5– तहसीलदार, स्याल्दे को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह
जिला अ
अल